न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 103 / 2020 **दायर दिनांकः 06 / 08 / 2020**

उनवान

1. कालूलाल आयु 55 वर्ष पुत्र मूलचन्द जाति मीणा निवासी मुसेन माता तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. पानाचन्द पुत्र नेनाराम जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

निर्णय दिनाक : 08 / 06 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल खरखडारामलोथान तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 306 का ख0नं0 1055 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह, ख0नं0 1056 की रकबा 1.13 है0, ख0नं0 1156 का रकबा 0.58 है0 भूमि वादी के हिस्से व कब्जे में आई है। नकल जमाबन्दी वाद के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 1156 की 0.58 है0 भूमि को वादी पिछले 2—3 वर्षों से प्रतिवादी को मुनाफा काश्त पर जुताता आ रहा था। परन्तु प्रतिवादी ने गत वर्ष भी मुनाफा की राशि वादी को अदा नहीं की तथा टालमटोल करता रहा। इस वष्र दिनांक 28.03.2020 को जब मुनाफा राशि की मांग की तो लोकडाउन का बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा और अन्त में दिनांक 10.06.2020 को मुनाफा राशि देने व जमीन पर से कब्जा छोडने से मना कर दिया तथा लडाई झगडा करने पर आमादा हुआ। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 1156 की 0.58 है0 भूमि पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जाना सम्भव नहीं है। यदि वादी की उक्त ख0नं0 की भूमि पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा बनाये रखा और उसे खुर्द बुर्द कर तो वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा व अपरिमित क्षति होगी अस्तु वादी वाद पत्र

की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 1156 की 0.58 है0 पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस हेतु वाद पत्र पेश किया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 28.03.2020 को मुनाफा काश्त की राशि की प्रतिवादी से मांग करने पर व उसके द्वारा लोकडाउन का बहाना बनाकर टालमटोल करने पर व अन्तिम बार दिनांक 10.06.2020 को मुनाफा राशि की मांग करने पर प्रतिवादी द्वारा मुनाफा राशि देने से मना करने व कब्जा छोडने से मना करने पर व लडाई झगडा करने पर आमादा होने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल खरखडा रामलोथान तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन है कि निम् आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 वर्णित आराजी ख0नं0 1156 की 0.58 है0 भूमि पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे।

(ब) वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के तहत pw1 कालूलाल पुत्र मूलचन्द जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज के गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने सशपथ बयानों में बताया कि मेरी खाते एवं कब्जे की ग्राम खरखडारामलोथान तहसील अटरू में खाता संख्या 306 की ख0नं0 1055 की 0.01 है0 व 1056 की 1.13 है0 व 1156 की 0.58 है0 शामलाती खाते की स्थित है। मेरे पिताजी ने पारिवारिक बटवारा करके 1156 की 0.58 है0 भूमि मुझे सम्भला रखी है। जिसको में 10—15 वर्षों से काश्त करता आ रहा हूॅ। पिछले वर्ष मेने मेरी 0.58 है0 भूमि पानाचन्द को मुनाफा काश्त पर जुपा दी थी उसके बाद उसने मुनाफा भी नहीं दिया और मेरी उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। जिसका मेने कब्जा हटाने का दावा पेश किया है।

3. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खरखडा रामलोथान की जमाबन्दी संवत 2073–76 दिनांक 21.05.2020 के अनुसार ख0नं0 1156 रकबा 0.58 है0 विवादित आराजी वादी, प्रतिवादी एवं 13 अन्य की सहखातेदारी दर्ज है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सह–खातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का अच्छी–बुरी प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार होता है अथात सहखातेदारों के विरूद्ध धारा 183 या 188 आर0टी0एक्ट बेदखली या स्थाई निषेधाज्ञा वाद मेन्टेनेबल नहीं होगा। धारा–183 आर0टी0 एक्ट के प्रावधानों एवं उसके पीछे के मूल उद्देश्य का अवलोकन एवं मनन किया। धारा 183 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों निम्नानुसार है–

Ejectment of certain trespasser-

(1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act] a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub- section (2)] on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year, during the whole or any part ehereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956)

वादी द्वारा अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि खाता संख्या 306 कुल किात 3 कुल रकबा 1.72 है0 आराजी का उनके पिता अपने जीवनकाल में ही परिवारिक बंटवारा कर ख0नं0 1156 रकबा 0.58 है0 का कब्जा संभला दिया था और विगत 10–15 वर्षों से वादी ही कब्जे काश्त चला आ रहा है। हेतुक आराजी के खाता विभाजन कि लिए धारा 53 आर0टी0एक्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि होल्डिग्स का विभाजन केवल सहखातेदारों के मध्य होता है। वादी व प्रतिवादी जब अपने पिता के जीवन काल में उक्त भूमि के सहखातेदार थे ही नही ंतो फिर उनके मध्य पारिवारिक बंटवारे के तहत होलिडंग्स का विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता ?

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि वादी को धारा–183 आर0टी0एक्ट0 में वाद दायर करने से पूर्व होल्डिग्स का विभाजन कराना चाहिऐ था। खाते का विभाजन कराऐ बिना किसी सहखातेदार के विरूद्ध धारा –183 आर0टी0एक्ट0 की कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं होने से वादी का वाद खारिज योग्य है।

–::<u>कियात्मक आदेश</u>::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां